न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 84 / 2008

विजय सिह पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

1–दीवान 8 साल ।
2–देवराज उम्र 6 साल । पुत्र / पुत्री विजयपाल अव्यस्क द्वारा मॉ
3–कुसम उम्र 5 साल । जाति जाटव निवासी कवई तहसील
4–सुनीता पत्नी विजयपाल नदबई जिला भरतपुर
5–चन्दा वेवा मनोहरी
6–भूरा पुत्र सुम्मेरा

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश ग्रांम पंचायत कवई दिनांक 20.4.2007 बाबत नामान्तकरण संख्या 228 बाके ग्रांम कवई तहसील नदबई ।

———

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिह डांगुर ,अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री गोबिन्द सिंह डांगुर , अभिभाषक रेस्पो0

आदेश दिनांक 20.02.2018

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश ग्रांम पंचायत कवई नामान्तकरण संख्या 228 ग्रांम कवई तहसील नदबई दिनांक 20.4.07 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 228 मृतक सुम्मेरा पुत्र खिल्लू की विरासत का स्वीकार किया गया ग्रांम पंचायत कवई उक्त की आज्ञा से व्यथित होकर यह अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। उभय पक्ष की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गई हैं जो शामिल पत्रावली की गई है।

योग्य अभिभाषक ने कथन किया है कि अपीलार्थी की मॉ श्रीमती कला स्व. सुम्मेरा की विवाहिता पत्नी थी और उत्तरवादीया सं.5 चन्दा वेवा मनोहरी निवासी जघीना रही थी जिसने स्व. मनोहरी के नुत्फे से स्व. विजयपाल को जन्म दिया था और वाद को विधवा हो जाने पर अपीलार्थी के पिता स्व. सुम्मेरा से धरेजा कर लिया जिसके **illegel wedlock** उत्तरवादी सं. 6 भूरा पैदा हुओ जो कि अधर्मज सन्तान की परिभाषा में आता है इसलिए विवादित आराजी जो अपीलार्थी की पैत्रिक सम्पत्ति बाबा–दादा की है से कोई हक विरासत नहीं रखता है, इसलिए अपीलार्थी को 1 / 2 हिस्सा पर पिता के जीवन काल में व 1 / 4 हिस्सा पर उनके मरणोपरान्त खातेदार अधिकार प्राप्त हुए हैं शेष 1 / 4 हिस्से का उत्तरवादी सख्या 6 खातेदार काश्तकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....2

उत्तरवादी संख्या 5 चन्दा मृतक सुम्मेरा की विधिक विवाहित पत्नी नही है बल्कि रखैल है इसलिए उसे कोई हक विरासत मृतक सुम्मेरा प्राप्त नहीं होते हैं, क्यों कि तमाम सम्पत्ति मृतक की पैत्रिक नहीं है। जिसमे रखैल व उसकी सन्तान का कोई अधिकार विरासत नहीं होता है। मृतक सुम्मेरा द्वारा छोडी इस आराजी से अपीलार्थी 3/4 हिस्सा का व उत्तरवादी संख्या 6 भूरा 1/4 हिस्से के खातेदार सह कृषक काबिज है अन्य किसी को कोई अधिकार विरासत इस आराजी पर प्राप्त नहीं होते है अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 135(2)एलआर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है जिसको सुनने व तय करने का अधिकार क्षेत्र ग्रांम पंचायत को नहीं है। इसलिए यह नामान्तकरण आदेश ग्रांम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण शून्य है और शून्य आदेश को चुनौती देने के लिए कोई निश्चित फोरम व अवधि नहीं है। यह अपील 75(1) एलआरएक्ट के प्रावधानों के अनुसार पुनः अपील होने के कारण न्यायालय में पेश की गई है। दूसरे तहसीलदार को उपयोग करते हुये यह आदेश ग्रांम पंचायत ने दिया है इसलिए अपील भी तहसीलदार के आदेश के विरुद्व होने वाले फोरमूला में ही यानी कलक्टर के समक्ष होगी। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने तथा अपीलार्थी के हक में 3/4 हिस्से का व उत्तरवादी संख्या 6 भूरा के हक में 1/4 हिस्सा का नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 97 एवं 106, आरआरडी 1989 पेज 340, डीएनजे 2018 (1)(11) एचसी, उद्धरित किये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों में बताया कि अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील धारा 75(एफ) एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है जब कि धारा 75(एफ) एलआर एक्ट के तहत अपील ग्रांम पंचायत के आदेश के विरुद्व मैन्टेनेविल नहीं है, इस बाबत प्राथमिक एतराज भी पेश किया गया है। अपीलान्ट का यह अंकित करना कि अपीलाधीन आदेश धारा 135(2) एलआर एक्ट के तहत पारित किया गया आदेश है, अपीलान्ट का यह कथन गलत है। ग्रांम पंचायत के समक्ष नामान्तकरण तस्दीक होने के समय कोई विवाद नही था। अगर ग्रांम पंचायत के समक्ष कोई विवाद हो जाता है तो ग्रांम पंचायत ऐसे नामान्तकरणों को सम्बन्धित तहसीलदार को प्रेषित कर देती है। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने आगे कथन किया है कि कलक्टर भूअभिलेख अधिकारी और उपखण्ड अधिकारी सहायक भूअभिलेख अधिकारी है और सम्भागीय आयुक्त निदेशक भू अभिलेख अधिकारी है ऐसी स्थिति में ग्रांम पंचायत के आदेश के विरुद्व अपील न तो जिला कलक्टर को और नाही सम्भागीय आयुक्त को होती है। ग्रांम पंचायत के आदेश के विरुद्व अपील सहायक भू अभिलेख अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी को होगी जो अधिसूचना पं. 5(21)राज/4/80/108 दिनांक 19.11.83 से अपील उपखण्ड अधिकारी को होती है। उनका कहना है कि अगर यह भी माना जावे कि ग्रांम पंचायत का आदेश इल्लीगल है तो लेक ऑफ ज्यूरीडिक्शन से अपील करने का क्षेत्राधिकार बदल नहीं जाता है, इसलिए अपील हर सूरत में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को ही होगी ।

.....3

अपीलान्ट द्वारा एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई में उनवानी विजयसिंह बनाम विजयपाल सिंह वगे. दिनांक 19.9.2006 को प्रस्तुत किया गया उक्त दावे को अपीलांट द्वारा दिनांक 20.2.2007 को राजीनामा के आधार पर खारिज करा लिया गया जिसके विरुद्व अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में प्रस्तुत हुई जिसमे अपीलांट व रेस्पो. के अधिकार तय होने है। उक्त कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के अधिकार तय नही हेाते हैं जहॉ रैग्यूलर कार्यवाही दावा व अपील विचाराधीन है वहॉ दावा व अपील का निर्णय ही उभय पक्षों पर वाध्यकारी होगा। अन्त में अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1996 पेज 454, आर.एल.डी. 1984 पेज 203(एचसी), एवं आर.आर.डी. 1993 पेज 24, 28 रुलिंग उद्यरित की।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस कथनों पर गौर किया गया तथा योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अपील ग्रांम पंचायत कवई के आदेश दिनांक 20.4.07 नामान्तकरण संख्या 228 के खिलाफ दिनांक 8.10.08 को पेश की गई है। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट अभिभाषक को सुना जाकर दिनांक 22.10.08 को अपील **subject to condition and subject limitation** दर्ज की गई है। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र पेश किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> **Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)**

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

> **" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"**
> **of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting**

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये। अपील की मैरिट पर विचार किया गया। जहॉ तक प्रश्न क्षेत्राधिकार है इस सम्बन्ध में आदेशिका दिनांक 22.10.08 को वक्त दर्ज करने अपील योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की प्रार्थना कि ''...प्रकरण को श्रीमान के न्यायालय में दर्ज किया जावे। अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है वहॉ न्याय मिलने का अपीलान्ट को सन्देह है ....।''पर अपील न्यायालय हाजा में दर्ज की गई है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का कथन है कि पक्षकारान के बीच विवादित आराजी को लेकर दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जहॉ पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होना है। इस तथ्य का योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने विरोध नहीं किया है। विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मृतक सुम्मेरा पुत्र खिल्लू द्वारा छोड़ी गई विवादित आराजी के स्वत्व को लेकर झगड़ा है। नामान्तकरण कार्यवाही फिसिकल प्रोसिंडिग है। पक्षकारान के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद में जबाब, तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य, सबूत वगेरा लेकर पक्षकारान के विवादित आराजी पर हक हकूक तैय होने हैं।

.....4

आर.आर.डी. 2005 पेज 85 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि:

"..... Rajasthan land Revenue Act, Section 135- Revision against order of Addl.Commmissioner-Held,dispute about succession of the deceased is very old and suit No.403/84 is pending in the court of Asstt.Collector, u/s88,188 R.T.Act- Mutation No 900 attested by Tehsildar after enquiry-Mutation proceeding is fiscal proceeding-Matter relating to will,gift,and succession cannot be decided by mutation proceedings-Rights of the parties will be decided in the pending suit by the court-It is not proper to investigate about mutation when suit is pending....."

अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official